

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
 परिचमांचल विद्युत वितरण निगम लि०
 विद्युत वितरण खण्ड, द्वितीय-धामपुर

ब्लॉक-

पत्र संख्या 5391 विविधात्रिभवात् / तक ०

पूर्ण जमा योजना

दिनोंका २६/०४/२०२३

श्री हिमांशु कुमार पुत्र श्री केदार सिंह निवासी रामनगर पो० खास तह० धामपुर जिला बिजनौर।


विषय:- पूर्ण जमा योजना के अन्तर्गत निजी नलकूप विद्युत संयोजन की टी०सी० निर्गत करने के सम्बन्ध में।

कृपया आपको अवगत कराना है कि आपके द्वारा पूर्ण जमा योजना के अन्तर्गत ०८ एच०पी० रामनगर में नलकूप का विद्युत संयोजन लेने हेतु आवेदन किया गया है जिसका प्रांगकलन बनाकर अवर अभियन्ता, ३३/११ कोवी विद्युत उपकरण, पैगम्बरपुर व उपखण्ड अधिकारी अफजलगढ़ / स्पोहारा / भिकवाला / द्वितीय स्पोहारा द्वारा बनाकर इस कार्यालय को प्रेषित किया गया जिसे स्थीकृत कर टी०सी० आपको इस आशय से प्रेषित है कि निम्न विवरण के अनुसार उक्त टी०सी० की धनराशि इस कार्यालय में जमा कराने की कृपा करें, धनराशि का विवरण इस प्रकार है -

	विवरण	धनराशि
1	जमाननत राशि	2400.00
2	इलैंकटानिक ३ फेस	2921.00
3	प्रांगकलन की धनराशि	132342.00
4	लेबर चार्जेज / फिक्स चार्ज	2036.00
	कुल योग	139699.00

- आवेदनकर्ता उपरोक्त धनराशि इस पत्र पर अंकित दिनोंक से १ महीने के अन्दर जमा करना सुनिश्चित करें, अन्यथा वी स्थिति में वर्तमान कार्स्ट शेडयूल के अनुसार पुनः टी०सी० को संशोधित कर निर्गत वी जायेगी।
- आवेदनकर्ता उपर धनराशि को जनसेवा केन्द्र/नेट बैंकिंग/डेविट कार्ड/केडिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर जमा करा सकते हैं।
- आवेदनकर्ता उपर धनराशि को जमा करने उपरान्त विद्युत सुरक्षा निदेशालय के निरीक्षण शुल्क जमा करने हेतु गारीब स्टेट बैंक में चालान जमा कर अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेगा।
- आवेदनकर्ता को १०० रुपये का स्टाम्प पेपर के साथ खण्ड कार्यालय में अनुबन्ध पूर्ण कराना होगा।
- लाईन का निर्माण करने के उपरान्त उपखण्ड अधिकारी को समय से अवगत कराना होगा जिससे राईट पर लगी रामगढ़ी का निरीक्षण कर अपनी आख्या इस कार्यालय को प्रेषित कर सकें।
- लाईन का निर्माण के पश्चात लाईन की गुणवत्ता की जाँच उपखण्ड अधिकारी करेंगे।
- आवेदनकर्ता पत्र में अंकित सभी शर्तों को पूर्ण करने के उपरान्त ही अपना संयोजन निर्गत करा सकते हैं।
- अधोहस्ताकर्ता को उपरोक्त प्रस्ताव को रद्द करने का पूर्ण अधिकार है।

नोट:- आवेदकर्ता को सीटर व संट कैपेस्टर लागाने हेतु कोठरी का निर्माण कराना अति आवश्यक है तभी टी०सी० मान्य होगी।



अधिशासी अभियन्ता